

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 386] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 18, 1982/अग्रहायण 27, 1904
No. 386] NEW DELHI, SATURDAY, DEC 18, 1982/AGRHAAYANA 27, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विस्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1982

सं० 289/82-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 767 (अ) -केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 11ग द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि उस प्रथा के अनुसार, जो उन अधिसूचित सूत कपड़ों पर जो उक्त अधिनियम की पृथकी अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद 1(क) के अधीन आते हैं और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1914 के नियम 96क के अधीन विहित विधेय प्रशिया के अधीन कार्य करने वाले पावर-

1095 GI/82

(1)

नूमो पर विनियमित है, उक्त अधिनियम के अधीन उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण (जिसमें उसका अनुद्-ग्रहण भी है) की बाबत साधारणतया विद्यमान थी ऐसा उत्पाद शुल्क उक्त अधिनियम के अधीन 15 जुलाई, 1977 से 7 अक्टूबर, 1980 तक की अवधि के बीच उद्ग्रहण नहीं किया जा रहा था यह निदेश देता है कि ऐसे कथों पर उक्त नियम के नियम 96अ के अनुसरण में नियत दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय मूल्य उत्पाद शुल्क ऐसे वस्तु की बाबत मदत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, जो उन पावरनूमो पर विनियमित किए गए हैं और जिनकी बाबत यंत्र आयुक्त को उक्त पावरनूमो के मस्यापन और कार्यकरण के लिए लिखित अनुज्ञा के लिए 31 दिसम्बर, 1979 की और उससे पूर्व आवेदन दिया गया है, और जिन पर उक्त प्रथा के अनुसार उक्त अवधि के दौरान उक्त नियमों के नियम 96अ के अनुसरण में नियत दरों पर उक्त अधि-नियम के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क मदत नहीं किया गया है।

[फा० सं० 55/1/80-सो० एक्स-2]

सी० मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 1982

NO. 289/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R 767(E)—In exercise of the powers conferred by section 11C of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof) under the said Act on unprocessed cotton fabrics, falling under sub-item 1(a) of Item No. 19 of the First Schedule to the said Act, and manufactured on power looms working under special procedure prescribed under rule 96 I of the Central Excise Rules, 1944, such duty was not being levied under the said Act during the period from the 15th July, 1977 to the 7th October, 1980, hereby directs that the whole of the duty of excise leviable under the said Act at the rates fixed in pursuance of rule 96J of the said rules on such fabrics, shall not be required to be paid in respect of such fabrics manufactured on power looms in respect of which an application had been made to the Textile Commissioner for written permission for the installation and working of the said power looms on or before the 31st December, 1979, and on which duty of excise leviable under the said Act at the rates fixed in pursuance of rule 96I of the said rules had not been paid during the said period in accordance with the said practice

[F. No. 55/1/80-CX. 2]

D MEHTA, Under Secy.